भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय
....
लोक सभा
तारांकित प्रश्न संख्या-224
जिसका उत्तर 17 मार्च, 2022 को दिया जाना है।

विद्युत परियोजनाएं

***224. श्री गजेन्द्र उमराव सिंह पटेल:**

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) खरगौन-बड़वानी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में प्रस्तावित नई परियोजनाओं तथा कार्यानवित की जा रही विद्युत परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या खरगौन-बड़वानी के विद्युत सुविधा से वंचित जनजातीय गांवों में किसी विशेष विद्युत परियोजना का कार्यान्वयन किया जाएगा;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या दूरवर्ती और पर्वतीय क्षेत्रों के लिए कोई विद्युत परियोजना है ताकि प्रत्येक घर में विद्युत की सुविधा मिल सके और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री
(श्री आर.के. सिंह)

(क) से (घ) : विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

****

<u>विवरण</u>

"विद्युत परियोजनाओं" के बारे में लोक सभा में दिनांक 17.03.2022 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 224 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

****

(क) : मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में एनटीपीसी द्वारा 1320 मेगावाट (2x660 मेगावाट) क्षमता की खरगोन सुपर थर्मल पावर स्टेशन नामक कोयला-आधारित ताप विद्युत परियोजना संस्थापित की गई है। यह परियोजना प्रचालनाधीन है और विद्युत उत्पादन कर रही है।

(ख) से (घ) : दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) में दूर-दराज एवं पहाड़ी क्षेत्रों में स्थित गांवों सहित गैर-विद्युतीकृत गांवों/बस्तियों को विद्युत की पहुँच का प्रावधान है। दिनांक 28 अप्रैल, 2018 तक की स्थिति के अनुसार, सभी राज्यों ने देश में गैर-विद्युतीकृत आवासित गांवों के 100% विद्युतीकरण की सूचना दी है। प्रधान मंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य) में देश के ग्रामीण क्षेत्रों के सभी इच्छुक गैर-विद्युतीकृत घरों और शहरी क्षेत्रों के सभी गरीब घरों को विद्युत कनेक्शन देकर सार्वभौमिक घरेलू विद्युतीकरण प्राप्त करने का प्रावधान किया गया है। सौभाग्य स्कीम के अंतर्गत, सभी राज्यों ने दिनांक 31.03.2019 से पूर्व अभिचिन्हित, सभी इच्छुक गैर-विद्युतीकृत घरों के 100% विद्युतीकरण की सूचना दी है। इसके अलावा, 18.85 लाख अतिरिक्त घर, जो पहले अनिच्छुक थे, किन्तु बाद में इच्छुक हो गए, दिनांक 31.03.2021 तक सौभाग्य से निधियन के माध्यम से विद्युतीकृत कर दिए गए हैं। राज्यों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, सौभाग्य स्कीम की शुरूआत से, दिनांक 31.03.2021 तक, कुल 2.817 करोड़ घरों का विद्युतीकरण कर दिया गया है।

इसके अतिरिक्त, 395.6 गीगावाट की संस्थापित क्षमता की तुलना में, देश में व्यस्ततम मांग केवल जुलाई, 2021 में 203 गीगावाट तक ही पहुँची। इस प्रकार, दूर-दराज एवं पहाड़ी क्षेत्रों के उपभोक्ताओं सहित सभी उपभोक्ताओं की विद्युत मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त उत्पादन क्षमता उपलब्ध है।

****